

**कार्यालय मुख्य अग्निशमन**

**अधिकारी रामपुर।**

पत्रांक:-प-8/सीएफओ-आरपीआर-पेट्रोल पम्प-रामपुर  
सेवा मे,

दिनांक:-जुलाई 05, 2016

**जिलाधिकारी,  
रामपुर।**

विषय: ग्राम-मथुरापुर तहसील शाहबाद, जिला रामपुर के गाटा संख्या-276 पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० बरेली के प्रस्तावित 'बी' साइट के०एस०के० रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक: 119/जे०ए०-02 तद् दिनांक 29-06-2016 एवं शासनादेश संख्या: 2464/छ:-  
पु०-8-2005 दिनांक: 09 दिसम्बर 2005।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/संदर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

- 1-प्रश्नगत स्थल के सामाने रोड की चौड़ाई मानक के अनुसार है।
- 2-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत है:-

- 1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ड्राली।
- 2-ए०बी०सी० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किय्रा के 04 अदद स्थापित कराये जाये।
- 3-नो स्मोकिंग बोर्ड एवं आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित कराया जाये।
- 4-05-05 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है:-

- 1-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लिखित विधि के अनुरूप।
- 2-प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेन्शन विद्युत लाईन नही गुजारी जायेगी।
- 3-प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा।
- 4-प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेगें।
- 5-डीजल भण्डारण हेतु पेट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर धिगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेगें।
- 6-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-1646-1982 व आई०एस०-2148 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

7-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किए जाने के उपरान्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करना होगी।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० बरेली के प्रस्तावित 'बी' साइट के०एस०के० रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही है आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।



(रहेहान अली)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
रामपुर।